CATS
Conservation Assured
APPROVED

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स नं0 05947–251362

पत्रांकः– 1331 / 15-2 दिनांक, रामनगर 24/11/.2022

सेवा में,

सम्पादक,
1. अमर उजाला, रामनगर।
2. दैनिक जागरण, रामनगर।
3. हिन्दुस्तान, रामनगर।

विषय :– जिप्सी वाहन पंजीकरण/वाहन चालक पंजीकरण हेतु **संशोधित प्रेस विज्ञप्ति** प्रकाशन के संबंध में।
सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्र 1166/15–1 दिनाँक 09.11.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनाँक 10.11.2022 को आपके समाचार पत्रों उत्तराखण्ड संस्करण में जारी विज्ञप्ति में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। रामनगर वन प्रभाग, रामनगर की संशोधित प्रेस विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम साइज में डी0ए0वी0पी0 की दरों पर दिनाँक 25.11.2022 के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्रांक 1060/15–1(1) दिनाँक 29.10.2022 के आलोक में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के सीतावनी पर्यटन जोन में टेढ़ा गेट एवं पवलगढ़ गेट पर जिप्सी वाहन पंजीकरण/वाहन चालक पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम, शर्तें इत्यादि वन विभाग की वेबसाईट www.forest.uk.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। **आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर वाहन पंजीकरण/वाहन चालक पंजीकरण अनिवार्य रूप से लिखा जाये। वाहन पंजीकरण/वाहन चालक पंजीकरण बिना लिखे लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 26.11.2022 में संशोधन करते हुए अन्तिम तिथि 05.12.2022 तक की जाती है।**

भवदीय,

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक : 1331 / – / –तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र का प्रारूप व नियम/शर्तें(संलग्न) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ) उत्तराखण्ड, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर